न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— एल0एस0कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 28/2022

पिताम्बर शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा, निवासी ग्राम देवीपुरा, पोस्ट पातुसरी, जिला झंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 28/2022 पर दिनांक 24.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022 /206—07 दिनांक 24.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/प्रथम अपील/2022/493 दिनांक 27.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक/अपीलार्थी श्री पिताम्बर शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 16.12.2021 का स्वयं का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ। जिसको कार्यालय के पत्र प्राप्ति रजिस्टर मे दिनांक 06.01.2022 को क्रम संख्या 14 पर दर्ज किया गया। बिन्दू संख्या मे वर्णित आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना के संबंध मे कार्यालय मे संघारित पत्रावलियों की व वांछित सूचना के पन्नों की गणना करवाकर प्रतिलिपि शुल्क पेटे 374.00 रूपये जमा करवाने हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 489 दिनांक 21.01.2022 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। लेकिन प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क आदिनांक तक जमा नही करवाया गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2022 को इस कार्यालय मे प्राप्त हआ था जिसके संबंध मे प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने हेतु दिनांक 21.01.2022 द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को नियत समयावधि मे सूचित किया जा चुका है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने पर वांछित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवा दी जावेगी। प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने मे इस कार्यालय स्तर से कोई विलम्ब नही हुआ है। नियत समय पर प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. वकील अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/प्रथम अपील/2022/493 दिनांक 27[illegible] द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक/अपीलार्थी श्री पिताम्बर शर्मा ने सूचना [illegible] अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 16.12.2021 [illegible] स्वयं का हस्ताक्ष[illegible] आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ। जि[illegible] मे दिनांक [illegible]22 को क्रम संख्या 14 पर दर्ज किया गया। बिन्दू संख्या मे व[illegible] आवेदन पत्र द्वारा वांछित [illegible] के संबंध मे कार्यालय मे संघारित पत्रावलियों की व वांछित सूचना के पन्नों की गणना करवाकर प्रतिलिपि शुल्क पेटे 374.00 रूपये जमा करवाने हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 489 दिनांक 21.01.2022 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। लेकिन प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क आदिनांक तक जमा नही करवाया गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 16:35:48 IST
Reason: SelfAttested

इस कार्यालय मे प्राप्त हआ था जिसके संबंध मे प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने हेतु दिनांक 21.01.2022 द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को नियत समयावधि मे सूचित किया जा चुका है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने पर वांछित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवा दी जावेगी। प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने मे उनके कार्यालय स्तर से कोई विलम्ब नही हुआ है। नियत समय पर प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 16:35:48 IST
Reason: SelfAttested